

क्रमांक: एफ-1(24)पीएस/निकाशि/2015/342

दिनांक: 12-12-2019

आदेश


राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर चयन के उपरान्त निम्नलिखित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों को वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की रिक्तियों के प्रतिकूल उनके नामों के आगे अंकित तिथियों से एतद् द्वारा नियमित रूप से प्रशासनिक अधिकारी के पद पर निर्धारित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल नं० एल-12 (L-12) में पदोन्नत कर उनके सम्मुख दर्शाये गये स्थानों पर पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान पदस्थापन	पदोन्नति पर पदस्थापन	चयन तिथि
1	वर्ष 2018-19 श्री सत्यनाराण शर्मा	राज० महा०, ब्यावर	से०नि० दि० 31.07.2018	01.04.18
2	श्री गोपाल राम नायक	राज० कन्या महा०, बीकानेर	से०नि० दि० 30.09.2019	01.04.18
3	श्री मोहन स्वरूप श्रीवास्तव	राज० कन्या महा०, धौलपुर	राजकीय महाविद्यालय, भरतपुर	01.04.18
4	श्री बाबू लाल जाट	राज० कला महा०, अलवर	राजकीय राजर्षि महाविद्यालय, अलवर	01.11.18
5	वर्ष 2019-20 श्री धुल चन्द परमार	राज० कन्या महा०, उदयपुर	से०नि० दि० 31.08.2019	01.08.19
6	श्री सुरेश चन्द्र उपाध्याय	राज० महा०, भवानीमण्डी	राज० कला महा०, कोटा	01.04.19
7	श्री ओम प्रकाश सैनी	राज० राजर्षि महा०, अलवर	राज० महा०, अजमेर	01.11.19
8	श्री सूरज मल मीणा	राज० महा०, खण्डार	आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर	01.04.19

उक्त में से क्रम संख्या 03, 06, 07 एवं 08 पर अंकित कार्मिक को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

उपर्युक्त कार्मिकों का वेतन स्थिरीकरण उनके नाम के आगे अंकित तिथि से होगा परंतु जिस अवधि में उन्होंने प्रशासनिक अधिकारी पद का वास्तविक रूप से कार्य नहीं किया है, उस अवधि का ऐरियर उन्हें देय नहीं होगा।


उपर्युक्त कार्मिकों दिनांक 20.12.2019 तक अपने पदोन्नत पद पर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण कर लें। किसी कार्मिकों का कार्यग्रहण काल अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जावेगी।


(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक(एच.आर.डी.-स्थापना), कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर।
3. सम्बन्धित प्राचार्य- कृपया संबंधित कार्मिकों को पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण करने हेतु अविलम्ब कार्यमुक्त करें अथवा इनके द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में इनका प्रार्थनापत्र निर्धारित अवधि में आयुक्तालय को भिजवाना सुनिश्चित करें/संबन्धित कार्मिकों द्वारा पदोन्नत पद पर कार्यग्रहण की सूचना तुरन्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को email-jdadmn.cce@gmail.com पर भिजवाये।
4. सम्बन्धित कार्मिकों।
5. वेबसाईट प्रभारी- कृपया विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. स्थापना शाखा/रोकड़ शाखा।
7. रक्षित पत्रावली।

(Type equation here)


12/12/19
(डॉ० के० एल० सिराधना)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन),
कालेज शिक्षा, राज०, जयपुर।